परिवाद सं०–35/2016
मनोज सोनकर बनाम अमला य़ादव वगैरह

दिनांक 14–12–2020

वाद प्रस्तुत हुआ, पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्तगण द्वारा कहा गया कि " उनके द्वारा प्रस्तुत मामले में माननीय उच्च न्यायालय से शीघ्र निस्तारण हेतु आदेश दाखिल किया गया है, काफी समय हम लोग हाजिर आ रहे हैं। परिवादी न तो हाजिर आ रही है और न ही अपने मामले पर बल दे रहा है। न्यायालय द्वारा परिवादी का साक्ष्य धारा 244 दं०प्र०सं० का अवसर दिनांक 21–11–2020 को समाप्त किया गया है। पत्रावली वास्ते आरोप हेतु आज नियत है लेकिन पत्रावली पर कोई भी साक्ष्य हमारे विरुद्ध धारा 244 दं०प्र०सं० उपलब्ध नहीं है।

पत्रावली पर सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

परिवादी कई पेशियों से से गैर हाजिर आ रहा है। परिवादी द्वारा पत्रावली पर कोई भी साक्ष्य धारा 244 दं०प्र०सं० नहीं कराया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को अपने परिवाद पत्र पर बल नहीं देना है। अतः साक्ष्य के अभाव में धारा 245 दं०प्र०सं० के तहत अभियुक्तगण का० अमला यादव व का० सुरेन्द्र यादव को धारा 504, 506 IPC व धारा 3(1)(10) Sc.St.Act. के आरोप से उन्मोचित किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त का० अमला यादव व का० सुरेन्द्र यादव को साक्ष्य के अभाव में धारा 245 दं०प्र०सं के अन्तर्गत तलबी धारा 504, 506 IPC व धारा 3(1)(10) Sc.St.Act. के आरोप से उन्मोचित किया जाता है।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
एस.सी.एस.टी एक्ट गोरखपुर।